न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/99	14.09.2020	20.01.2025

1. रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र स्व0 मोहनलाल पौत्र घाघा उर्फ घंगा उर्फ घागा जाति गुर्जर निवासी गण्डराला (नैथला) तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

––वादी

बनाम,

1. कजोडा उर्फ कजोडया उर्फ कजोडी पुत्र स्व0 मोहनलाल पौत्र घाघा उर्फ घंगा उर्फ घागा जाति गुर्जर निवासी गण्डराला (नैथला) तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा मैनेजर मालाखेडा
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर शाखा मालाखेडा
5. केला पुत्री हरनारायण जाति गुर्जर
6. चेतराम पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर
7. केवडराम पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर
8. राधाकिशन पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर
9. रुयाली पुत्र कन्नी जाति गुर्जर
10. रामपाल पुत्र कन्नी जाति गुर्जर
11. छीतर पुत्र भवरिया उर्फ भोरया जाति गुर्जर (मृतक)
12. रामअवतार पुत्र चन्दर जाति गुर्जर
13. श्रीपाल पुत्र चन्दर जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम गण्डराला (नैथला)
14. ग्राम पंचायत नैथला जरिये सरपंच निवासी गण्डराला (नैथला) तह0 मालाखेडा
15. धर्मी पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर
16. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर
17. मंगतुराम पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर
18. काली पुत्री चन्दर जाति गुर्जर
19. रामफूल पुत्र चन्दर जाति गुर्जर
20. सौदान पुत्र चन्दर जाति गुर्जर
21. भौति देवी पत्नि चन्दर जाति गुर्जर
22. हरदेई पत्नि औमप्रकाश जाति गुर्जर निवासीयान गण्डराला (नैथला) (मृतक)

––अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, ,89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड़ अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

10/24

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1482 रकबा 02 ऐयर, 1483 रकबा 50 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 687 मी0 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1484 रकबा 60 ऐयर, 1486 रकबा 96 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 687 मी0, 686 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2152 रकबा 8 ऐयर, 2155 रकबा 1 ऐयर, 2156 रकबा 58 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 661 मी0 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2163 रकबा 24 ऐयर, 2164 रकबा 22 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 659 मी0 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2165 रकबा 38 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 716 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2142 रकबा 25 ऐयर, 2213 रकबा 17 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 712 मी0 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1361 रकबा 3 ऐयर, 1362 रकबा 3 ऐयर, 1363 रकबा 4 ऐयर, 1364 रकबा 5 ऐयर, 1365 रकबा 8 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 674 रकबा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 40 ऐयर, 1436 रकबा 9 ऐयर, 1437 रकबा 9 ऐयर, 1440 रकबा 4 ऐयर, 1441 रकबा 15 ऐयर, 1442 रकबा 40 ऐयर, 1443 रकबा 25 ऐयर, 1444 रकबा 24 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 703 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2144 रकबा 1 ऐयर, 2145 रकबा 3 ऐयर, 2146 रकबा 5 ऐयर, 2147 रकबा 2 ऐयर, 2148 रकबा 2 ऐयर, 2149 रकबा 4 ऐयर, 2150 रकबा 9 ऐयर, 2151 रकबा 8 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 662 मी0 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2081 रकबा 45 ऐयर, 2082 रकबा 1 ऐयर, 2083 रकबा 87 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 755 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गण्डराला इस वाद पत्र मे विवादित है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1482, 1483, 1484, 1486, 2152, 2155, 2156, 2163, 2164, 2165, 2142, 2213 वाके ग्राम गण्डराला मे वादी का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1435, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, मे वादी का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा है। विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 2081, 2082, 2083 मे वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। उक्त विवादित आराजी मे वादी का 1/16, 1/32 व 1/4 हिस्सा विवादित है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त कर रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 भी अपने 1/16, 1/32, 1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। शेष विवादित आराजी पर मुताबिक रिकॉर्ड हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 22 काबिज रहकर काश्त कर रहे है उनके हिस्से की आराजी पर वाद पत्र मे वादी का कोई विवाद नही है ना ही उनके खिलाफ वादी को वाद पत्र मे कोई अनुतोष चाहिये। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी 5 लगा0 22 विवादित आराजी के सहकाश्तकार है। विवादित आराजी वादी की पैतृक है जो उसे अपने दादा घाघा उर्फ घंगा उर्फ घाघा की मृत्यु के पश्चात विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनलाल का देहान्त उनके दादा घाघा उर्फ घंगा के जीवनकाल मे ही हो गया लेकिन घाघा उर्फ घंगा उर्फ घांगा की मृत्यु के पश्चात इंतकाल विरासत संख्या 19 दिनांक 16.09.1967 इंतकाल संख्या 261 दिनांक 30.09.1977 ग्राम पंचायत द्वारा मोहनलाल मृतक के वारिसान की जांच किये बगैर गैर कानूनी व गलत स्वीकार कर दिया जबकि मृतक मोहनलाल के रामहेत नाम का कोई पुत्र नही था। मोहनलाल के दो पुत्र कजोडा उर्फ कजोडया उर्फ कजोडी प्रतिवादी संख्या 1 व रमेश उर्फ रमेश चन्द वादी ही है। वादी ने इंतकाल संख्या 19 व 261 को व रामहेत के गलत नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कर सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

.मेश उर्फ रमेश चन्द राजस्व रिकॉर्ड मे करने के लिये मौखिक व लिखित व अनेको बार कहा तो राजस्व कर्मचारी नाम को दुरूस्त करने के लिये पहले टालते रहे अब दिनांक 18.03.2020 को राजस्व कर्मचारियों इंतकाल व रामहेत के नाम को दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। वादी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है।

घाघा उर्फ घंगा उर्फ घागा पुत्र मन्ना

चन्दर (पुत्र)   मोहनलाल (मृतक) (पुत्र)

कजोडा उर्फ कजोडया उर्फ कजोडी (पुत्र)   रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र

मोहनलाल मृतक के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है। रामहेत नाम का कोई पुत्र मोहनलाल के नही था ओर ना है। धन्नी पत्नि हरनारायण, चन्दर पुत्र धन्ना, कन्नी पुत्र भजनी को देहान्त हो जाने के कारण इनके वारिसान को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

दावा वादी इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को विवादित आराजी वाके ग्राम गण्डराला का उसके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 16.09.1967, इन्तकाल संख्या 261 दिनांक 30.09.1977 को वादी के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी के मुकाबले मे बातिल व बेअसर तथा नाकाबिल पाबन्दी व शून्य करार किया जाकर निरस्त किया जाये, इन्तकाल के आधार पर विवादित आराजी पर रामहेत पुत्र मोहनलाल के नाम के आये इन्द्राज को कलमजन कर हटाया जाये और उसके स्थान पर समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे वादी रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर के नाम का इन्द्राज खातेदार काश्तकार के किया जावे।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः—

1. डिक्री इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर की जाकर वादी को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1482 रकबा 02 ऐयर, 1483 रकबा 50 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 687 मी0 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1484 रकबा 60 ऐयर, 1486 रकबा 96 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 687 मी0, 686 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2152 रकबा 8 ऐयर, 2155 रकबा 1 ऐयर, 2156 रकबा 58 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 661 मी0 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2163 रकबा 24 ऐयर, 2164 रकबा 22 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 659 मी0 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2165 रकबा 38 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 716 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2142 रकबा 25 ऐयर, 2213 रकबा 17 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 712 मी0 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के 1/16 हिस्से, हाल खसरा नम्बर 1361 रकबा 3 ऐयर, 1362 रकबा 3 ऐयर, 1363 रकबा 4 ऐयर, 1364 रकबा 5 ऐयर, 1365 रकबा 8 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 674 रकबा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 40 ऐयर, 1436 रकबा 9 ऐयर, 1437 रकबा 9

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

ऐयर, 1440 रकबा 4 ऐयर, 1441 रकबा 15 ऐयर, 1442 रकबा 40 ऐयर, 1443 रकबा 25 ऐयर, 1444 रकबा 24 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 703 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2144 रकबा 1 ऐयर, 2145 रकबा 3 ऐयर, 2146 रकबा 5 ऐयर, 2147 रकबा 2 ऐयर, 2148 रकबा 2 ऐयर, 2149 रकबा 4 ऐयर, 2150 रकबा 9 ऐयर, 2151 रकबा 8 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 662 मी0 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2081 रकबा 45 ऐयर, 2082 रकबा 1 ऐयर, 2083 रकबा 87 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 755 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गण्डराला के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 16.09.1967, इन्तकाल संख्या 261 दिनांक 30.09.1977 वाके ग्राम गण्डराला (नैथला) को वादी के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी के मुकाबले मे बातिल व बेअसर तथा नाकाबिल पाबन्दी शून्य करार दिया जाकर निरस्त किया जाये। और समस्त राजस्व रिकॉर्ड से रामहेत पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर नाम के इन्द्राज को कलमजन कर हटाया जाये, और उसके स्थान पर वादी रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति गुर्जर के नाम का इन्द्राज खातेदार काश्तकार के समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे किया जावें।

2. अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान वादी के पक्ष मे उचित समझे वो भी खिलाफ प्रतिवादीगण दी जावे।

वादी की और से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत किये गयेः—

1. जमाबंदी सम्वत 2070—2075 वाके ग्राम गण्डराला खाता संख्या नया 34, खाता संख्या 25, खाता संख्या 35, खाता संख्या 67, खाता संख्या 64, खाता संख्या 65, खाता संख्या 27 और खाता संख्या 45
2. सेटलमेन्ट सम्वत 2051—2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि
3. जमाबन्दी सम्वत 2024—2027 वाके ग्राम नैथला
4. नामान्तकरण पंजिका ग्राम नैथला प्रमाणित प्रतिलिपि
5. राजीनामा उभयपक्ष संख्या 01 दिनांक 23.09.2021

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के पक्ष वाद डिक्री किये जाने एवं विवादित आराजी से रामहेत पुत्र मोहनलाल के इन्द्राज को समस्त राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के नाम का इन्द्राज खातेदार काश्तकार के किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/4486 दिनांक 29.04.2022 मे अंकित किया कि रामहेत पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति मृतक मोहनलाल पुत्र घाघा उर्फ घंगा के परिवार का वारिसान मे नही होना पाया गया। विरासत दर्ज करते समय सहवन से रमेश चन्द के स्थान पर रामहेत नाम दर्ज हो गया। सही नाम रमेश उर्फ रमेश चन्द है। रिकॉर्ड एवं मौका जांच के अनुसार रामहेत के स्थान पर रमेश चन्द किया जाना उचित होना अंकित किया।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। वकील वादी ने अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों का अंकन करते हुये वाद डिक्री किये जाने का कथन किया। वकील प्रतिवादी ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की लिखित बहस व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया। नामान्तकरण पंजिका ग्राम नैथला मे लिपिकिय त्रुटि से वादी का नाम रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र मोहनलाल के स्थान पर रामहेत पुत्र मोहनलाल दर्ज हो गया है जिसके

खण्ड अधिकारी

परिणामस्वरूप आगामी वर्षो के राजस्व रिकॉर्ड मे भी वादी का नाम रमेश उर्फ रमेश चन्द पुत्र मोहनलाल के स्थान पर रामहेत पुत्र मोहनलाल ही अंकित रहा। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामे से सिद्ध होता है कि पत्रावली मे विचाराधीन विवादित आराजीयात का वादी ही असल खातेदार काश्तकार है। अतः आदेश है कि दावा वादी बाबत इश्तकरार हक व इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाता है।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर संबंधित को भिजवाई जावे। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेगें।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आंज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
माला... (अलवर) राज०